[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 9/2018 – संघ राज्य क्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 18 मई, 2018

वैशाख, शक 1940

सा. का. नि. …….(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उप नियम 14 के खंड (घ) के साथ पठित संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 22 की उपधारा (1) और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख, 31 मार्च, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 318(अ), तारीख, 31 मार्च, 2018 को 25 मई, 2018 से विखंडित करती है।

[फा. सं. एस. 31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

(राजेन्द्र कुमार जाटव)

अवर सचिव, भारत सरकार